

No. FFE-B-F (S)-2/2002-IV-1003e

Government of Himachal Pradesh
Department of Forests

From

The Principal Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

To

- 1 All the Additional Chief Secretaries to the Govt. of HP
- 2 All the Principal Secretaries to the Govt. of H.P.
- 3 All the Head of the Departments in H.P.
- 4 All the Divisional Commissioners in H.P.
- 5 All the Deputy Commissioners in H.P.

Dated: - Shimla-2, the 19-6-2014.

Subject: - Issue of certificates on new format under Scheduled Tribes
and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of
Forest Rights Act) FRA 2006.

Sir,

This is in continuation to this office letter of even number dated 12-11-13 vide which templates for submitting the proceedings of the Forest Right Committee, Sub-Divisional Level Committee, District Level Committee and the template for recommendation/ consent of the Gram Sabha which are required to be annexed with the FRA Certificate of the Deputy Commissioners, in FCA proposal were sent in order to ensure that the language of the Annexures to be attached with the Certificate of D.C does not suffer from any infirmity.

Now, the Pr. Chief Conservator of Forests has informed that their office has started receiving FRA Certificates from the districts. However, some of the columns of these certificates have not been filled correctly by some of the districts.

In view of the above, the templates (Annexure I to V) devised and circulated earlier have been amended and simplified, which are enclosed for necessary action with the request that the same may be circulated, to all concerned working under your control so that uniformity of the format is maintained throughout the State and no essential details are missed in any of the Annexure.

the Annexure.

the format copy supplied to Sh. Raj Kumar
under FRA 2006

Raj Kumar

Yours faithfully,

e-despatch

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

19/6/14

No. FFE-B-F (S)-2/2002-IV-loose.
Government of Himachal Pradesh
Department of Forests

1 FFE-B
19/6/14

2

From:

The Principal Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

To:

- 1 All the Additional Chief Secretaries to the Govt. of HP
- 2 All the Principal Secretaries to the Govt. of H.P.
- 3 All the Head of the Departments in H.P.
- 4 All the Divisional Commissioners in H.P.
- 5 All the Deputy Commissioners in H.P.

Dated: Shimla-2, the 19-6-2014

Sh. Chandras Prakash
Subject:

Issue of certificates on new format under Scheduled Tribes
and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of
Forest Rights Act) FRA 2006.

Surjit Singh

29/6/14

Sir,

This is in continuation to this office letter of even number
dated 12-11-13 vide which templates for submitting the proceedings of the
Forest Right Committee, Sub-Divisional Level Committee, District Level
Committee and the template for recommendation/ consent of the Gram Sabha
some of the columns of these certificates have not been used in
some of the districts.

In view of the above, the templates (Annexure I to V) devised and
circulated earlier have been amended and simplified, which are enclosed for
necessary action with the request that the same may be circulated to all
concerned working under your control so that uniformity of the format is
maintained throughout the State and no essential details are missed in any of
the Annexure

Yours faithfully,

(Tarun Shridhar)
Principal Secretary (Forests) to the

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम : सभा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक.....

वन अधिकार समिति ग्राम सभा..... की बैठक आज दिनांक.....
 को बजे स्थान..... में श्री/श्रीमति.....
 की अध्यक्षता में की गई जिसमें..... गाय के अनुसूचित जनजाति
 और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत.....
 जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें..... विभाग द्वारा ** के
 निर्माण के लिए हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त
 हुए गाय कारियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत
 दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन-अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों
 का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	* पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
---------	--------------------------	-------------	---------------------

1.....
 2.....
 तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी
 सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र.सं.	* पात्र ग्राम वासी का नाम	ग्राम सभा	इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश
---------	---------------------------	-----------	--------------------------------------------

1.....
 2.....
 तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश
 करती है।

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान..... अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
 दिनांक..... ग्राम सभा.....

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
 ** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

ग्राम की PRC - जेम्स के पुत्र के
 सभी दावे कानून के अन्तर्गत

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम समा.....
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक.....

ग्राम समा..... की बैठक आज दिनांक..... को
बजे, स्थान..... में श्री/श्रीमति..... की अध्यक्षता में
की गई जिसमें..... गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत..... जंगल/वन
क्षेत्र में (जिसमें..... विभाग द्वारा..... के निर्माण के लिए..... हैचटैयर वन
भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हुए इस ग्राम समा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांधी शसियाँ के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम समा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र०स० * पात्र ग्राम वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्यौरा
1.
2.

अनुसार यह ग्राम समा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती
है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र०स० * पात्र ग्राम वासी का नाम

1.

2.

अनुसार ग्राम समा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम समा की वन अधिकार समिति से प्राप्ति सूचना के अनुसार..... जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान.....
दिनांक.....

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम समा.....

* ग्रामवासी/ग्राम वासीओं के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए
आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के
उपयोग की अनुमति दी जानी है।

OFFICE OF THE SDO CIVIL, _____
(District)

A meeting of the Sub-Division level Committee of _____ Sub-Division, constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Mr/ Ms. _____, SDO(Civil) _____ on _____ at _____ AM/PM at _____ (Place) in which the application(s) of the applicant(s) of _____ Gram Sabha, claiming rights in _____ forest area(s) under FRA,2006, duly processed and recommended by the _____ Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee :-

S.No. Name of Applicant* Name of Forest Detail of forest Right

- 1.
- 2.

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S.No. Name of Applicant* Name of Forest Detail of forest Right

- 1.
- 2.

OR

As informed by _____ Gram Sabha, no application was received claiming rights in _____ forest area.

Place:

Date _____ SDO (Civil)-cum-Chairman /Chairperson

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

(6)

(S.V.T)

Annexure-IV

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT _____ (H.P)

Proceedings of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006 .

A meeting of the District level Committee of _____ District, constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Mr/Ms. _____, Deputy Commissioner, _____ on _____ at _____ AM/PM at _____ (Place) in which the application(s) of the applicant(s) of _____ Gram Sabha, claiming rights in _____ forest area(s) under FRA,2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee, _____ were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

S.No. Name of Applicant* Name of Forest Detail of forest Right

- 1.
- 2.

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S.No. Name of Applicant* Name of Forest Detail of forest Right

- 1.
- 2.

OR

As informed by SDO (Civil) _____, no application was received from _____ Gram Sabha claiming rights in _____ forest area.

Place :

Date :

DC. cum- Chairman/ Chairperson

*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

368
4

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

ग्राम सभा
विकास खण्ड जिला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

गणपूर्ति / दिनांक
प्रस्ताव संख्या

विषय विभाग/संस्था को
के निर्माण हेतु
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित हैक्टयर वन भूमि के
उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा की बैठक आज दिनांक
को बजे स्थान में
की गई जिसमें विभाग/संस्था को
के निर्माण हेतु जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित हैक्टयर वन भूमि को निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा की सहमति दी जाती है।

स्थान
दिनांक
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

C B L C